निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 12/2017 दिनांक : 30.06.2022

अनवान

घासी गर पिता शंकर गर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

...........अपीलांट

।। **बनाम** ।।

1. मोहन गर पिता हजारी गर जाति गोस्वामी उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
2. ग्राम पंचायत भादसोडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भादसोडा तहसील भदेसर
3. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत नपावली द्वारा स्वीकृति नामांतरण सं0 322 दि0 24.06.2021

उपस्थित– श्री नरेन्द्र सिंह पंवार वकील अपीलार्थी

अपीलांट की ओर से अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत किया या कि :–

1. यह कि ग्राम भादसोडा प0ह0 भादसोडा में स्थित खाता संख्या 511 पर दर्ज आराजी नम्बर 1741 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, आ.न. 1910 रकबा 16 बिस्वा , आ.न. 1911 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ.न. 1964 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, आ.न. 1964 रकबा 5 बिस्वा, आ.न. 1966 रकबा 2 बीघा 10

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

बिस्वा, आ.न. 2109 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आ.न. 2110 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, आ.न. 2110 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, आ.न. 2111 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, आ.न. 2112 रकबा 8 बिस्वा किता 10 कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा हैक्टेयर भूमि का विरासती इंतकाल उसके तीनों पुत्र शंकर गर, हजारी गर व कैलाश गर के नाम पर खुला। उक्त आराजीयात में कैलाश गर का 1/3 हक हिस्सा बनता है जिस पर कैलाश गर ताउम्र काबिज होकर काश्त करते हुए लाऔलाद फौत हो गया। कैलाश गर के फौत होने बाद उक्त आराजीयात 1/2 शंकर गर के एवं 1/2 हिस्सा हजारी गर के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु पटवार हल्का ने बिना कोई जांच पडताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के झूंठे कथनों पर विश्वास कर कैलाश गर के हिस्से की आराजीयात का विरासती इंतकाल अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम पर खोल दिया जो कानून के खिलाफ होने से उक्त नामान्तकरण आदेश निरस्त योग्य है।

2. यह कि कैलाश गर के फोत हो जाने पर बिना सूचना के पटवारी व ग्राम पंचायत भादसोडा ने मिलकर इंतकाल संख्या 1283 दिनांक 09.04.1978 को अपीलान्ट व सजरे अनुसार वारिसान को कैलाश गर की आराजीयात से महरूम करते हुए उक्त इंतकाल अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम फैसल कर दिया जो अवैध व खिलाफ कानून है इसलिए यह अपील इंतकाल पेश करना जरूरी हुआ है।

3. यह कि रेस्पोर्डेट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को कैलाश गर का गोद पुत्र होना बता कर कैलाश गर की आराजीयात का इंतकाल अपने नाम पर खुलवाया जबकि कैलाश गर एवं उसकी पत्नि ने कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को गोद नहीं लिया फिर भी ग्राम पंचायत ने बिना जांच पडताल किये कैलाश गर की

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

आराजीयात का विरासती इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम खोल दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि विरासत से अपीलांट वारिसान का कैलाश गर की खाते की जमीन में हक बनता है लेकिन संबंधित पटवारी ने कैलाश गर के हिस्से की जमीन का इंतकाल अकेले रेस्पोडेन्ट के नाम खोल दिया जिसके जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी दिनांक 04.09.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट से विवाद किया और कहा कि कैलाश गर के हिस्से की जमीन का मालिक अकेला वह है इस पर अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन दिनांक 07.09.2017 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत की जो नकल उसी दिनांक को प्राप्त हो गई इसके पश्चात अपीलांट ने फीस व अपील खर्च आदि व्यवस्था कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और अपील तैयार करवाते अपील अंदर अवधि पेश है। फिर भी अलग से दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भादसोडा द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1283 दिनांक 09.04.1978 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात यह जाहिर आया कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भादसोडा द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण पर निर्णय पारीत करते मृतक कैलाश गर के विधिक वारिसान एंव राजस्व रेकर्ड की जांच पडताल नहीं की गई है । ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत न्याय का एक सशक्त माध्यम होता है किन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कैलाश गर के विधिक वारिसान एवं गोदनामा मानते हुए रेस्पोर्डेंट संख्या 01 के नाम विरासत से नामान्तरकरण खोला जाकर निर्णीत कर दिया है। कृषि आराजीयात को रेस्पोर्डेंट सं. 01 के नाम इंतकाल खोलकर त्रुटि की गई है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है कि मौजा ग्राम भादसोडा के नामान्तरकरण संख्या 1283 दिनांक 09.04.1978 पर पारीत ग्राम पंचायत भादसोडा का निर्णय अपास्त किया जाता है । सिविल प्रक्रिया संहित 1908 की धारा 107 (1) क में प्रद्वत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी मोहन गर पिता हजारी गर ग्राम भादसोडा के खातेदारी में दर्ज ग्राम भादसोडा प0ह0 भादसोडा में स्थित खाता संख्या 511 साबिक आराजी नम्बर 1741, 1910, 1911, 1964, 1965,1966, 2109, 2110, 2111, 2112 किता 10 कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि जिसमें अपीलार्थी का 1/2 हक हिस्सा निहित है। नामान्तरण संख्या 1283 दिनांक 09.04. 1978 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे। पक्षकारों को सुनकर नामान्तरण खोले।

निर्णय दिनांक 30.06.2022 में टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़